

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -635/2016/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्याम ऑइल्स, घासमंडी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक।

श्री वी.सी. सोगानी

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 18.12.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम प्रतिकरापवंचन-बीकानेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) जोधपुर-प्रथम वाणिज्यिक कर, जोधपुर के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 18/आरवेट/जोधपुर/2015-16 में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपीलों में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया गया है।
2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म रिफाइण्ड मूंगफली तेल का विक्रेता है। सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2014 को वक्त जांच वाहन संख्या आरजे 06 जीए 4808 द्वारा प्रत्यर्थी फर्म के माल का परिवहन किया जाना पाया गया। प्रभारी द्वारा दस्तावेज मांगने पर राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जीआर सं ए 1962 दिनांक 15.10.2014 तथा मैसर्स श्याम ऑइल्स जोधपुर का बिल क्रमांक 754 दिनांक 15.10.2014 जिसमें क्रेता गणपति ट्रेडिंग कम्पनी रायपुर को मूंगफली तेल जिसकी कीमत 9,38,000/- रुपये की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि बिल की कार्बन कॉपी व बिल में ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट घोषित किया गया जबकि उक्त वक्त चैकिंग राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी पेश की गयी, जो जोधपुर से रायपुर के मध्य माल का परिवहनित से संबंधित है। बीकानेर से जोधपुर के मध्य माल के परिवहन से संबंधित कोई भी बिल/चालान आदि पेश नहीं किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त बिल एवं बिल्टी का

लगातार.....2.

Am. Y. K.
18/12/17

कूटरचित व मिथ्या मानते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2015 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित शास्ति को अपास्त कर किया जाकर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 07.09.2015 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.09.2015 का खण्डन करते हुए कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जीआर तथा मैसर्स श्याम ऑयल्स जोधपुर का बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें क्रेता गणपति ट्रेडिंग कम्पनी, रायपुर को मूंगफली तेल बिक्रित किये जाने की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। जबकि दस्तावेजों में बिल की कार्बन कॉपी व बिल में ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट घोषित किया गया। वक्त चैकिंग राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी पेश की गयी, जो जोधपुर से रायपुर के मध्य माल का परिवहनित से संबंधित है। जो प्रथम दृष्टयता मिथ्या व कूटरचित है। राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि बीकानेर से जोधपुर के मध्य माल के परिवहन से संबंधित कोई भी बिल/चालान वक्त चैकिंग प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। जिससे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2015 द्वारा अपास्त किया गया। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का आगे यह कथन किया गया है कि परिवहनित माल बीकानेर से रायपुर व अजमेर के लिए परिवहनित किया जा रहा था, जो कि दस्तावेजो से स्पष्ट है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिविरुद्ध पारित किये गये आदेश को अपास्त कर राजस्व की अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी मूंगफली तेल का विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स अमृत उद्योग, बीकानेर से माल खरीद कर इनवॉयस जोधपुर से जारी कर पूरे राजस्थान में माल भेजा जाता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आगे कथन किया गया कि बिल पर ट्रांसपोर्टस का नाम राधे ट्रांसपोट, बीकानेर के स्थान पर नेशनल ट्रांसपोर्ट लिखा जाना लिपिकीय भूल है। अतः उसकी फर्म द्वारा धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि धारा 76(2) के तहत वांछित दस्तावेज वक्त जांच वाहन के

लगातार.....3.


Amrutha
18/12/17

- साथ उपलब्ध थे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी तथ्यों की जांच कर व विधिनुसार आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का आधार उपलब्ध नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाकर अपीलीय आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत ACTO, FS, Kota Vs. M/s Girraj Oil Industries, Malpura, Distt. Tonk 7 TUD निर्णय दिनांक 05.06.2014 Vol 40 Page 4 and ACTO, FS-II Jodhpur Vs. M/s R.K. Trading Company, Jhunjhunu निर्णय दिनांक 25.08.2014 Vol 40 page 18 पेश किया गया।
7. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।
 8. प्रकरणों में प्रत्यर्थी फर्म द्वारा रिफाइण्ड मूंगफली तेल का परिवहन किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर सशक्त अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि परिवहनित माल राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जीआर सं ए 1962 दिनांक 15.10.2014 तथा मैसर्स श्याम ऑयल्स जोधपुर का बिल क्रमांक 754 दिनांक 15.10.2014 से केता गणपति ट्रेडिंग कम्पनी रायपुर को भेजना पाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि बिल की कार्बन कॉपी में ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट घोषित किया गया। जबकि उक्त वक्त चैंकिंग राधे ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी पेश की गयी, जो जोधपुर से रायपुर के मध्य माल का परिवहनित से संबंधित है। बिल्टी में ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम बिल से भिन्न होने के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी नहीं खुलने से माल दूसरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से भेजा गया तथा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्म ने परिवहनित माल के बिल स्टॉफ के एक्सीडेंट हो जाने के कारण बीकानेर स्थित अपीलार्थी फर्म के अधिकृत व्यक्ति को वहां ई-मेल से बिल भेजे गए जो परिवहनित माल के साथ वक्त जांच के पेश किए गए। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेज व तथ्य प्रस्तुत कर दिये गये थे तब बिल व बिल्टी में उल्लेखित समस्त तथ्य को सत्यापन किया जाना चाहिये था किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिलों में उल्लेखित ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम से भिन्न ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम होने के संबंध में प्रस्तुत कथन के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी तथा बीकानेर स्थित फर्म जिसके द्वारा उत्पादित माल भेजा जा रहा था उसके द्वारा जारी किये गये बिलों के मिथ्या एवं कूटरचित होने के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी।

Amrit
18/12/17

लगातार.....4.

9. अपीलीय अधिकारी द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा माल के प्रेषक एवं प्रेषिति दोनों ही राजस्थान राज्य के पंजीकृत व्यवहारी है तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी भी राज्य की पंजीकृत फर्म है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिलों में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम से भिन्न ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम होने के संबंध में जो तर्क एवं तथ्य प्रस्तुत किये गये वह सत्यापन योग्य थे किन्तु उनका सत्यापन एवं जांच नहीं की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त विवेचन एवं अवधारणा से यह पीठ सहमत है। जब व्यवहारी द्वारा जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी के समक्ष जवाब के साथ समस्त तथ्य प्रस्तुत कर दिए गए थे तथा प्रेषक एवं प्रेषिति दोनों राजस्थान में पंजीकृत है तब उनका सत्यापन एवं जांच की जानी चाहिए थी। किन्तु ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को मिथ्या मानना न्यायसंगत नहीं है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना दस्तावेजों को मिथ्या व बोगस मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में किसी भी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 07.09.2015 विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.09.2015 की पुष्टि की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य